9.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान्य
उपस्थित। पत्रावली गत अ[illegible]र
दिनांक 13.10.25 को [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

13.10.25

वकील आवेदक उप०/आवेदक की अपील ~~अपोषित~~ होने से ~~स्वीकार~~ हो चुकी है, जिसके तथ्य यह प्रा० पत्र पेश किया गया था। अब इस प्रा० पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा इस पत्रावली में डिमांड 7.7.2025 को पारित आदेश तत्काल प्रभाव से वेकट/अपास्त किया जाता है। प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कायम के गम हो कर तकमील जाया दाखिल हाफ्त हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़